राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला अजमेर।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एवं बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPI/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
1849	964	114	763	8	511	644

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 964 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 114 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 763 आवासों के संबंध में Write-off के 511 एवं ग्राम सभा के 644 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला अलवर।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPI/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
558	343	22	118	75	102	105

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 343 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 22 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 118 आवासों के संबंध में Write-off के 102 एवं ग्राम सभा के 105 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला बांसवाडा।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPI/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
5189	5043	73	65	8	0	0

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 5043 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 73 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 65 आवासों के संबंध में Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बांसवाडा।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला बारां।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
7425	4050	328	3047	0	2482	2715

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 4050 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 328 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 3047 आवासों के संबंध में Write-off के 2482 एवं ग्राम सभा के 2715 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारां।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला बाडमेर।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPI/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
2755	2265	128	360	2	187	205

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 2265 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 128 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 360 आवासों के संबंध में Write-off के 187 एवं ग्राम सभा के 205 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाडमेर।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला भरतपुर।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPI/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
901	538	7	240	116	227	229

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 538 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 7 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 240 आवासों के संबंध में Write-off के 227 एवं ग्राम सभा के 229 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला भीलवाडा।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPI/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
4768	2669	215	1874	10	696	1079

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 2669 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 215 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 1874 आवासों के संबंध में Write-off के 696 एवं ग्राम सभा के 1079 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला बीकानेर।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPI/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
1935	921	49	965	0	801	965

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 921 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 49 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 965 आवासों के संबंध में Write-off के 801 एवं ग्राम सभा के 965 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बीकानेर।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला बूंदी।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
4203	2299	140	1515	249	757	1057

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 2299 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 140 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 1515 आवासों के संबंध में Write-off के 757 एवं ग्राम सभा के 1057 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बूंदी।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला चित्तौडगढ।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
2806	1311	228	1267	0	12	23

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 1311 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 228 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 1267 आवासों के संबंध में Write-off के 12 एवं ग्राम सभा के 23 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौडगढ।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला चूरू।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
2669	2490	153	25	1	24	24

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंः–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 2490 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 153 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 25 आवासों के संबंध में Write-off के 24 एवं ग्राम सभा के 24 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चूरू।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला दौसा।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPI/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
800	210	98	492	0	26	34

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 210 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 98 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 492 आवासों के संबंध में Write-off के 26 एवं ग्राम सभा के 34 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद दौसा।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला धौलपुर।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
388	167	9	134	78	111	126

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 167 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 9 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 134 आवासों के संबंध में Write-off के 111 एवं ग्राम सभा के 126 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद धौलपुर।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला डूंगरपुर।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
8818	8145	136	108	429	17	21

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 8145 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 136 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 108 आवासों के संबंध में Write-off के 17 एवं ग्राम सभा के 21 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद डूंगरपुर।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला हनुमानगढ।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
788	484	130	137	37	78	95

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 484 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 130 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 137 आवासों के संबंध में Write-off के 78 एवं ग्राम सभा के 95 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद हनुमानगढ।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला जयपुर।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
2844	1317	823	671	33	467	513

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 1317 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 823 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 671 आवासों के संबंध में Write-off के 467 एवं ग्राम सभा के 513 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जयपुर।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला जैसलमेर।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
491	255	54	20	162	19	20

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 255 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 54 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 20 आवासों के संबंध में Write-off के 19 एवं ग्राम सभा के 20 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जैसलमेर।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला जालोर।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPI/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
2662	1977	198	487	0	0	0

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 1977 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 198 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 487 आवासों के संबंध में Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जालोर।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला झालावाड।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
3498	2308	35	1142	13	223	224

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंः–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 2308 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 35 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 1142 आवासों के संबंध में Write-off के 223 एवं ग्राम सभा के 224 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद झालावाड।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला झुन्झुनू।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
39	20	17	2	0	2	2

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 20 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 17 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 2 आवासों के संबंध में Write-off के 2 एवं ग्राम सभा के 2 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद झुन्झुनू।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला जोधपुर।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
2986	1547	119	1320	0	162	269

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 1547 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 119 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 1320 आवासों के संबंध में Write-off के 162 एवं ग्राम सभा के 269 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला करौली।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
4176	2694	98	1379	5	244	271

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंः–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 2694 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 98 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 1379 आवासों के संबंध में Write-off के 244 एवं ग्राम सभा के 271 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद करौली।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला कोटा।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
3340	846	318	2171	5	435	434

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 846 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 318 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 2171 आवासों के संबंध में Write-off के 435 एवं ग्राम सभा के 434 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कोटा।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला नागौर।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
1089	754	212	117	6	60	73

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 754 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 212 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 117 आवासों के संबंध में Write-off के 60 एवं ग्राम सभा के 73 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला पाली।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
2914	1395	366	1153	0	543	941

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंः–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 1395 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 366 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 1153 आवासों के संबंध में Write-off के 543 एवं ग्राम सभा के 941 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला प्रतापगढ।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
6421	4374	233	1778	36	1653	1778

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 4374 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 233 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 1778 आवासों के संबंध में Write-off के 1653 एवं ग्राम सभा के 1778 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद प्रतापगढ।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला राजसमंद।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
2701	1764	378	545	14	192	298

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 1764 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 378 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 545 आवासों के संबंध में Write-off के 192 एवं ग्राम सभा के 298 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजसमंद।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला सवाईमाधोपुर।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
3470	2448	71	660	291	336	404

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंः–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 2448 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 71 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 660 आवासों के संबंध में Write-off के 336 एवं ग्राम सभा के 404 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सवाईमाधोपुर।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला सीकर।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
103	26	35	14	28	13	13

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंः–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 26 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 35 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 14 आवासों के संबंध में Write-off के 13 एवं ग्राम सभा के 13 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सीकर।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला सिरोही।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
2793	1336	83	1358	16	61	151

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंः–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 1336 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 83 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 1358 आवासों के संबंध में Write-off के 61 एवं ग्राम सभा के 151 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सिरोही।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला श्रीगंगानगर।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
2283	1365	216	698	4	124	317

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 1365 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 216 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 698 आवासों के संबंध में Write-off के 124 एवं ग्राम सभा के 317 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद श्रीगंगानगर।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला टोंक।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
5208	3798	457	950	3	600	685

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 3798 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 457 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 950 आवासों के संबंध में Write-off के 600 एवं ग्राम सभा के 685 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद टोंक।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

F27(29)RDD-5/Statistics/M&E Report/2021-22/Part-iv-00009 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
जिला उदयपुर।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों का चिन्हीकरण कराने के संबंध मे।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2024

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 07.06.2024, 03.07.2024 एंव बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.06.2024।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत सभी स्वीकृत आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में शेष रहे अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। उक्त संबंध में अपूर्ण/प्रगतिरत विलम्बित आवासों को प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 3(A,B & C) श्रेणियों में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. ऐसे आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है उन्हे श्रेणी A में प्रदर्शित कराकर 31.7.24 तक पूर्ण करावे।
2. इसी प्रकार जो अपूर्ण/अप्रारम्भ विलम्बित आवास जिन्हे प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तथा जिनमें वसूली कर ली गयी है अथवा वसूली सम्भव हो उन्हे श्रेणी B में प्रदर्शित कराकर वसूली की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।
3. स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली सम्भव नहीं हो उन्हे श्रेणी C में प्रदर्शित कराकर Writing-off की कार्यवाही 15.7.24 तक पूर्ण करावे।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा तैयार "Online Application/Module" पर जिले द्वारा अपलोड की गयी प्रगति निम्नानुसार हैः–

Total Beneficiaries (IAY/CMBPl/PMAY-G)	Category A	Category B	Category C	Pending Entries	Pending Write-off Proposal uploading	Pending Gram sabha Proposal uploading
26145	10381	371	11937	3456	11680	11803

अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1. श्रेणी A में अपलोड किये गये 10381 आवासों की नियमित समीक्षा कर पूर्ण करावें।
2. श्रेणी B में अपलोड किये गये 371 आवासों के संबंध में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्रेणी C में अपलोड किये गये 11937 आवासों के संबंध में Write-off के 11680 एवं ग्राम सभा के 11803 अपलोड होने से शेष प्रस्ताव "Online Application/Module" पर अपलोड कराते हुए Write-off किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर।

RajKaj Ref 9805257

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.14 18:59:06 IST
Reason: Approved